BIHAR

BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, P.O.-Sadakat Ashram, Patna—800010

EPABX-0612-2261250/2262265, Fax-0612-2261050

Notification No. 05 **Patna, dated-** 08.8.25

Notification

1. MoEF&CC, Govt. of India has notified the Control of Air Pollution (Grant, Refusal or Cancellation of Consent) Guidelines, 2025 vide GSR 84(E), dated-29.01.2025 in exercise of the powers conferred by section 21 A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended and the Control of Water Pollution (Grant, Refusal or Cancellation of Consent) Guidelines, 2025 vide GSR 85(E), dated-30.01.2025 in exercise of the powers conferred by section 27 A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as amended.

2. In Compliance with Para-8 of the Control of Air Pollution (Grant, Refusal or Cancellation of Consent) Guidelines, 2025 and the Control of Water Pollution (Grant, Refusal or Cancellation of Consent) Guidelines, 2025.

   Every application for consent (CTE & CTO) under section 21 of the Air Act, 1981 and section 25 of the Water Act, 1974 shall be granted or refused from the date of receipt of application in all respect within the period specified in the table below:-

Sl. No.	Application	Period (in days)		
		Red	Orange	Green
1.	Grant or refusal of consent to establish	60	45	30
2.	Grant or refusal of consent to operate, first time	90	60	30
3.	Grant or refusal of renewal of consent or expansion or amendment	120	60	30

3. Bihar State Pollution Control Board shall continue the grant of CTE for orange and green categories of industries on self certification/affidavit/undertaking basis and grant of CTO for green category of industries on self certification/ affidavit/undertaking basis through OCMMS.

4. Board shall continue the renewal of consent-to-operate (CTO) through auto-renewal system to all categories of industries on self certification/ affidavit/ undertaking basis instantly through OCMMS without any manual/ human intervention.

5. For compliance reduction and deregulation for Ease of Doing Business, Bihar State Pollution Control Board shall grant or refuse the consent application

(CTE & CTO) as pro-active action within the period specified in the table below:-

Sl. No.	Application	Period (in days)		
		Red	Orange	Green
1.	Grant or refusal of consent to establish	60	30	21
2.	Grant or refusal of consent to operate	60	45	21

6. This notification shall come into force from the date of issue.

Sd/-
(Neeraj Narayan)
Member Secretary

Memo No. 1000 Patna, dated- 08.8.25
Copy forwarded to: the Additional Chief Secretary, Industries Department, Govt. of Bihar/All concerned of the BSPCB for information and necessary action.

08/8/25
(Neeraj Narayan)
Member Secretary

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 010

दूरभाष नं0–0612-2261250/2262265, फैक्स–0612-2261050

अधिसूचना संख्याः– 05 पटना, दिनांक–08.8.25

अधिसूचना

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित, की धारा 21A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–जी.एस.आर. 84(ई.), दिनांक–29.01.2025 द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान, इंकार या रद्द) दिशानिर्देश, 2025 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, यथासंशोधित, की धारा 27A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या–जी.एस.आर. 85(ई.), दिनांक–30.01.2025 द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान, इंकार या रद्द) दिशानिर्देश, 2025 अधिसूचित किया गया है।

2. वायु प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान, इंकार या रद्द) दिशानिर्देश, 2025 एवं जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान, इंकार या रद्द) दिशानिर्देश, 2025 के पारा–8 के अनुपालन मेंः–

   वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अधीन सहमति (स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ) से संबंधित प्रत्येक आवेदन, आवेदन प्राप्ति की तारीख से नीचे दिये गये सारणी में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सभी मामलों में सहमति प्रदान की जायेगी या आवेदन इंकार किया जायेगाः–

क्र. सं.	आवेदन	अवधि (दिनों में)		
		लाल	नारंगी	हरा
1.	स्थापना करने के लिए सहमति प्रदान करना या आवेदन इंकार करना	60	45	30
2.	संचालन हेतु सहमति प्रदान करना या आवेदन इंकार करना, पहली बार	90	60	30
3.	सहमति का नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन की सहमति प्रदान करना या आवेदन इंकार करना	120	60	30

3. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, Online Consent Management & Monitoring System (OCMMS) के माध्यम से स्व–प्रमाणन/शपथपत्र/वचनबद्धता के आधार पर नारंगी और हरा श्रेणी के उद्योगों के लिए CTE तथा स्व–प्रमाणन/शपथपत्र/वचनबद्धता के आधार पर हरा श्रेणी के उद्योगों के लिए CTO प्रदान करना जारी रखेगा।

4. पर्षद, बिना किसी मैनुअल/मानवीय हस्तक्षेप के, Online Consent Management & Monitoring System (OCMMS) के माध्यम से स्व–प्रमाणन/शपथपत्र/वचनबद्धता के आधार पर सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए स्वतः–नवीनीकरण प्रणाली (Auto-Renewal System) के माध्यम से संचालन–सहमति (CTO) का नवीनीकरण जारी रखेगा।

5. व्यापार करने में आसानी के तहत अनुपालन में कमी और विनियमन (Compliance reduction and deregulation for Ease of Doing Business) के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सक्रिय कार्रवाई के रूप में सहमति आवेदन (CTE & CTO) को मंजूरी या अस्वीकार करेगा –

क्र.सं.	आवेदन	अवधि (दिनों में)		
		लाल	नारंगी	हरा
1.	स्थापना करने के लिए सहमति प्रदान करना या आवेदन इंकार करना।	60	30	21
2.	संचालन हेतु सहमति प्रदान करना या आवेदन इंकार करना।	60	45	21

6. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगी।

ह0/–
(नीरज नारायण)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः–1000 पटना, दिनांकः–08.8.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना/सभी संबंधित बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Neeraj 08/8/25
(नीरज नारायण)
सदस्य–सचिव।